रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

संः0–राज/जैसल–20/सिअर्थ–6 दिनांक.

प्रेषित श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री किशनलाल सदानी .
निवासी एंको की पोल
गॉव एंव पोस्ट गजनेर 334001
तहसील– कोलायत, जिला बीकानेर

विषयः राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी मण्डई सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 4.0 हैक्टेयर (ML . 3/94) **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानो का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 17.03.2017 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
नियम 11(3)	खनन योजना दिनांक 26.03.2013 को 2012–13 से 2016–17 के प्रस्तावो के लिये अनुमोदित की गई थी जिसकी अवधि 31.3.2017 तक हैं पट्टाधारी को इस अवधि के समाप्त होने के 180 दिन पूर्व Review of Mining Plan बनाकर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करनी थी। परन्तु नियम 11(3) की अनुपालना के लिये Review of Mining Plan अभी तक सक्षम अधिकारी को जमा नहीं की गई।
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एंव पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे है तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, ता उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2015–16 की वार्षिक रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गई है।
31(4)	इन नियमों के अधीन बनाए गये सभी प्लान और सेक्शन को अद्यतन (अप–टू–डेट) कराकर नहीं रखे गये हैं।
33	नियम 28 के तहत बनाए गए सभी प्लान एवं सेक्शन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक (अजमेर) को अद्यतन (अप–टू–डेट) करके प्रस्तुत किए जाने थे, लेकिन वर्ष 2015–16 के लिये अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
नियम 45(5)(ख)	आपकी उपरोक्त खान की आनलाइन मासिक विवरणियां नियमानुसार उसके अगले माह की 10 तारीख से पहले निर्धारित प्रपत्र मे क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अजमेर को प्रस्तुत की जानी थी लेकिन माह अप्रेल 2016 से अभी तक की मासिक विवरणी नियमानुसार क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अजमेर को प्रस्तुत नही की गई है।
नियम 45(5)(ग)	आपकी उपरोक्त खान की आनलाइन वार्षिक विवरणी नियमानुसार वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित प्रपत्र मे क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अजमेर को एक जुलाई 2016 से पूर्व प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन अभी तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो